1		1
(1	1	1
- 11	6	
1.	=	-

## Life Insurance Corporation of India

	FORM OF CHANGE OF	NOMINATION	Policy No
	FOI IIISTI GOLOTT TO	hereby	
	For instruction Re : Execution of a ged	ears and whose address is	4
This Dollow shall he	to be the perso paid in the event of my death in li named in the text of the the	eu of	ent on the within policy
detect of	the	day of	200
Dated	the	day or	
WITNESS Signature		Sign	ature of Life Assured
Full Name		Address	
Designation		Addition	
Address			
Address			
** Strike out the works not The Sr Branch Manager,	FORMOTHOTISE	NGE OF NOMINATION	ice
1 36 Incurance Corportion	of India	Da	te
Pronch Unit No		Da	
	***************************************		
			- 176
			Own Life
Policy No	otice that I have now nominated		as the
1	stice that I have how hortimas		doath vide elluvisorion
i whom the mon	ave serified by the above		lantoa e.
on the enclosed Policy/ e	eys secured by the above Policy senctosed will in lieu of		on the above policy.
of the above Policy / [] en	dorsement dated	Your	rs faithfully
		(Signature	e of Life Assured)
a Strike out the words no	at annlicable.		
a Strike out the words he	and	Address	

- Life Assured can at any time before his Policy matures for payment change a previous Nomination by an endorsement on the bank of the Policy INSTRUCTIONS
- If the change is to be effected by an encorsement on the Policy, the Assured should copy out the form printed above on the back of the Policy after making in the Form such alternation as may be necessary, and fill in the particulars required. He must thereafter affix his signature to the endoresement in the presence of a witness. If the Asured be not conversant with English he/she should sign the endoresement before an English knowing witness and if he/she be litterate he/she must affix his/her, thumb impression to the endorsement before a Magistrate, a Justice of the peace, a Gazetted Officer, a Class 1 Officer of the Corporation or a Development Officer of the Corporation, with at least 5 years service provided he/she is fully satisfied about the identity of person executing the endorsement, in such case the witness should certifiy as follows:

"Certify that the contents of the change of Nomination wrer explained by me to the Assured Shri... in vernacular and that he affixed his Signature/thumb impression there to in my presence after thoroughly understanding the same\*

- immediately after a change in nomination has been made either by an endorsement on the Policy or by a will, notice thereof in writing preferably in the form appended to the form of change of nomination should be forwarded to the Branch Office of the Corporation through which the Policy was issued for registeration of change of nomination accompanied by the Policy or the will as the case may be. If no such notice is given, the Corportion will not be liable for any payment under the Policy made to bonafied nominee mentioned in the text of the policy or registered in its
- If the nominee be a minor, it is a advisable to appoint in the manner prescribed by the Insurance Act on Appointee, to receive the money secured by the Policy in the event of the Assured's death during the minority of the nominee. A form of a appointment of Appointee with instruction can be had from the Corporation on application.

प्रपत्र सं. 3750



## नामन में परिवर्तन का प्रपत्र

भैंएतद् द्वारा दिनांक	
अन्तर्गत नामित/स्थान में दिनांक	को उक्त पालिसी पर पृष्ठांकन
द्वारा नामित श्रीके स्थान पर अपनेके	श्री/श्रीमती
को नामित करता हूं जिन्हें मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त पालिसी के अन्तर्गत प्राप्त धन	का भुगतान कर दिया जाये।
साक्षी:	(बीमेदार के हस्ताक्षर)
हस्ताक्षर	पताः
हस्ताक्षर	
पूरा नाम	
पद	
पता	
*यहा नामित व्यक्ति जिसे आप नियुक्त करना चाहते हैं का पूरा तथा सम्बन्ध लिखिये।	
* जो शब्द लागू ना हो काट दीजिए।	
नामन में परिवर्तन की सूचना का प्रपत्र	
प्रवर शाखा प्रबन्धक	स्थान
भारतीय जीवन बीमा निगम	दिनांक
प्रिय महोदय/महोदया,	
मैं एतद् द्वारा आपको सूचित करता हूं कि मैंने अब उक्त पालिसी के अन्तर्गत नामित	उपरोक्त पालिसी पर दिनांकके पृष्ठांकन द्वारा
नामित श्रीके स्थान पर अब श्री	नामांकन दिनांक
को संलग्न पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा संलग्न इच्छापत्र द्वारा कर दिया है, जिन्हे मेरी मृत	त्य हो जाने की दशा में उक्त पालिसी के अन्तर्गत प्राप्त धन
का भुगतान कर दिया जाए।	
*जो लागू न हो उसे काट दें।	भवदीय
जा सार् न हा जरा काठ का	
	(बीमेदार के हस्ताक्षर)
	पता
आवश्यक निर्दे	•11
आवश्यक । नद	रा
1. पालिसी के भुगतान के लिए पूर्णाविधि प्राप्त होने से पूर्व किसी भी समय बीमेदार प	गलिसी के पिछले पष्ट पष्टांकन अथवा एक इच्छा पत्र द्वारा
'पहले किये हुये नामन में परिवर्तन कर सकता है।	
2. यदि नामन में परिवर्तन, पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा प्रभावी किया जाता है तो बीमेद	ार को चाहिए कि वह पीछे की ओर छपे हुए प्रपत्र आवश्यक
परिवर्तन तथा सभी प्रविष्ठियों की पूर्ति के पश्चात् पालिसी के पिछले पृष्ठ पर उसकी	नकल उतार लें। तत्पश्चात उक्त पृष्ठांकन पर उसकी साक्षी
की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर करने चाहिए ओर यदि वह निरक्षर है तो उस पृ	ष्ठांकन पर किसी मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ पीस, राजपत्रित
अधिकारी, निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारी अथवा निगम के ऐसे विकास अधिकारी	जो कम से कम 5 वर्ष से निगम की सेवा में हो और पृष्ठांकन
करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो, के समक्ष अपना ब	।।यां दायां अंगूठा निशान लगाना चाहिए। ऐसे मामले में साक्षी
को निम्न प्रकार से प्रमाणित करना चाहिए।	
"प्रमाणित किया जाता है कि नामन में परिवर्तन सम्बन्धी समस्त विवरण बीमेदार क	ने उसकीभाषा में मैंने समझा दिया है
और उसने इसकी भली-भांति समझने के पश्चात् ही मेरी उपस्थिति में उन पर अ	पपना हस्ताक्षर /अंगूठा निशान किया/लगाया है।"
3. नामन में परिवर्तन चाहे पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा किया गया हो अथवा इच्छा पत्र	द्वारा परिवर्तन के तुरंन्त बाद उसकी सूचना, लिखित रूप मे
(अच्छा होगा यदि सूचना नामन के परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रपत्र हो) पालिसी पर वि	देये पृष्ठांकन अथवा इच्छा–पत्र सहित, नामन के पंजीयन हेतु
निगम के बीमा सेवा उपलब्धकर्ता कार्यालय को भेज देना चाहिए। यदि इस प्रकार	की कोई सूचना निगम को नहीं दी जायेगी तो उक्त पालिसी
के अन्तर्गत पालिसी के प्रकरण में वर्णित अथवा पालिसी के अभिलेखों में पंजीकृत	। नामित व्यक्ति को किसी प्रकार का भुगतान न हो जाने पर
निगम उतरदायी होगा।	
4. यदि नामित व्यक्ति नाबालिग है, तो यह परामर्श दिया जाता है कि नामित व्यक्ति	न के नाबालिंग रहते बीमादार की मृत्यु हो जाने पर पालिसी
धन को प्राप्त करने के लिए बीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित रीति अनुसार किसी व	याक्त का नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति प्रपत्र निगम

के कार्यालय में आवेदन करने पर प्राप्त हो सकता ह।